

FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 154 Cr.P.C.)

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)

(धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत)

1. District (ज़िला): STATE VIGILANCE AND

P.S.(थाना): KULLU

Year(वर्ष): 2023

FIR No(प्र.सू.रि.सं.): 0005

Date & Time of FIR (एफआईआर की तिथि / समय):

03/11/2023 06:46 PM

2. S.No.(क्र.सं.)	Acts(अधिनियम)	Sections(धारा(एँ))
1	IPC 1860	411
2	IPC 1860	120-B
3	ESSENTIAL COMMODITIES ACT, 1955	3
4	ESSENTIAL COMMODITIES ACT, 1955	7
5	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	13(2)

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1. Day(दिन): Friday

Date From(दिनांक से): 03/11/2023

Date To(दिनांक तक): 03/11/2023

Time Period (समय अवधि):

Time From (समय से): 12:05 PM

Time To (समय तक): 04:45 PM

(b) Information received at P.S.(थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):

Date(दिनांक): 03/11/2023

Time (समय): 06:24 PM

(c) General Diary Reference (रोजानामचा संदर्भ):

Entry No.(प्रविष्टि सं.): 013

Time (समय): 03/11/2023 06:24 PM

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): Written

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S (थाना से दूरी और दिशा): NORTH, 4 Km(s)

Beat No(बीट सं.):

(b) Address(पता): BASHING, BASHING, VAISHNU TEMPLE KULLU, KULLU, 175101

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)

Name of P.S(थाना का नाम): SADAR KULLU

District(State)(ज़िला(राज्य)): KULLU(HIMACHAL PRADESH)

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता/सूचनाकर्ता):

(a) Name(नाम): ASHOK KUMAR

(b) Father's/Mother's/Husband's Name (पिता / माता / पति का नाम):

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 1983

(d) Nationality (राष्ट्रियता): INDIA

(e) UID No (यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Date of Issue (जारी करने की तिथि):

Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) Id details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN)

S.No.(क्र.सं.)	Id Type(पहचान पत्र का प्रकार)	Id Number(पहचान संख्या)
1	Any Other	000

(i) Address(पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
-----------------	------------------------------	---------------

1	Present Address	VILLAGE-PS SVACB KULLU , PS-KULLU, DISTRICT-STATE VIGILANCE AND ANTI-CORRUPTION BUREAU (SV & ACB), STATE-HIMACHAL PRADESH, INDIA
2	Permanent Address	VILLAGE-PS SVACB KULLU , PS-KULLU, DISTRICT-STATE VIGILANCE AND ANTI-CORRUPTION BUREAU (SV & ACB), STATE-HIMACHAL PRADESH, INDIA

(j) Phone number (दूरभाष न.):

Mobile (मोबाइल)

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (जात/ संदिग्ध /अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than (अज्ञात आरोपी एक से अधिक हों तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Relative's Name(रिश्तेदार का नाम)	Present Address (वर्तमान पता)	Permanant Address (स्थायी पता)
1	Unknown1			

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण (यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ठ नत्थी करें)):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (संपत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Nature Property (प्रकृति संपत्ति)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))
1	OTHERS	MISCELLANEOUS	INVOLVED IN A CASE/CRIME		

10. Total value of property stolen (In Rs/-) (चोरी हुई सम्पत्ति का कुल मूल्य (रु में)):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी.संख्या)
-----------------	----------------------------------

12. First Information contents (Attach separate sheet, if necessary) (प्रथम सूचना तथ्य (यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ठ नत्थी करें)):

इस समय निरीक्षक अशोक कुमार अन्वेष्णाधिकारी PS SV&ACB Kullu द्वारा लिखित रुका वदस्त आरक्षी दुर्गा सिंह के थाना में अभियोगो पंजीकृत करने हेतु प्राप्त हुआ है। जिसका सार निम्नलिखित है। "MHC थाना रा. स. एवं भ्रष्टाचार रोधी व्युरो, कुल्लू, जिला कुल्लू, (HP) निवेदन है कि इमरोज मन निरीक्षक मय निरीक्षक ओमा ठाकुर, निरीक्षक राम नाथ, HASI थरचेन छैरिंग, आरक्षी दुर्गा सिंह, आरक्षी राजेश कुमार, सै.ली. रेवत राम 7/1-43, गृह रक्षक नरेश कुमार 7/1-39, गृह रक्षक कुर्दमत 7/2-74 व हाजरिन स्वतन्त्र गवाह नायव तहसीलदार कुल्लू, Sh. राम दयाल फिल्ड कानूनगो श्री प्रिन्स कौर पाल के व सवारी गाडी सरकारी HP 03C-8540 जेर चालक आरक्षी रोशन लाल मय सरकारी जैकट व कैमरा, प्रिन्टर HP Laser Jet M403 व सरकारी लैप टॉप के जेरे रहनुमाई उप पुलिस अधीक्षक साहब के बाये तस्दीक हालात सोर्स रिपोर्ट खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारियों / कर्मचारियों की मिली भगत से जनजातिय क्षेत्र पांगी किलाड को FCI कुल्लू गोदाम से जारी चावल (राशन) की भारी खेप जो कि किलाड के क्षेत्रों में न पहुंची है जिसे मुकाम वैष्णों मन्दिर रामशिला, कुल्लू में 40-45 दिनों से store करके रखा गया है। जो यह सरकारी चावल स्थानीय पांगी क्षेत्र की जनता को सरकारी उचित मूल्य की दुकानों/ डिपुयों के माध्यम से वितरित होनी था परन्तु यह चावल कुल्लू में ही खुर्द वुर्द करने की नियत से Store किए गए हैं। जो इस राशन को खाद्य आपूर्ति विभाग के पांगी / कुल्लू के अधिकारी/ कर्मचारी मौक पा कर स्थानीय खुली मार्किट में बेच कर खपा सकते हैं। जिसमें वैष्णों मन्दिर वांशिग कुल्लू के संचालक की भूमिका भी सन्देहस्पद है। जो खाना तलाशी वारण्ट माननीय अदालत से हासिल किया गया। जो सोर्स रिपोर्ट की तस्दीक व वारण्ट खाना तलाशी की तस्दीक हेतु उपरोक्त हमराहीयान के खाना मौका का हुआ था जो समय 12:05 बजे मन निरीक्षक मय हमराहीयान के मौका वांशिग में माता वैष्णों देवी के भवन के पास पहुंचा और हमराही स्वतन्त्र गवाहों के मन्दिर के संचालक Sh. कमाल दास S/O Sh. सन्त राम शर्मा निवासी V.P.O वांशिग जिला कुल्लू को मौका पर वुला कर इनसे हालात तस्दीक करने पर कमाल दास ने बताया कि इनके मन्दिर के Ground Floor में करीब 30-35 दिन पहले Civil Supply के Public Distributer Sh. दौलत राम जो कि Civil Supply कुल्लू में कार्यरत है ने गाडियों में ला कर इनके पास यह कह कर रखा था कि यह सरकारी डिपो का चावल पांगी जनजातीय क्षेत्र जिला चम्वा को कुछ दिन वाद भेजा जाएगा ओर Store की चावी इनके पास ही है। जो दौलत राम उपरोक्त को मौक पर तलव किया गया। तो यह मौक पर हाजरि आया और दौलत राम से पुछा गया कि क्या आपने इस मन्दिर परिसर में सरकारी चावल Store करके रखा है। जो इसने बतलाया कि यहां कमर /Store में ही चावल रखे हैं जिस पर गवाहों के सामने दौलत राम ने Store में लगे ताला को खोला तो कमरा के अन्दर काफी मात्रा में 50Kg/50Kg की सरकारी चावल की वोरियां ढांक लगा कर रखी हुई वरामद हुई। जिस बारा दौलत राम से Store किए गए सरकारी चावल को संदर्भ में किसी दस्तावेजो को पेश करने वारे कहा गया तो यह कोई भी दस्तावेज पेश न कर सका तथा न ही कोई सन्तोष जनक उत्तर दे सका है। दौलत राम से यह पुछा गया कि यहां पर कितनी बोरियां चावल (सरकारी) इनके द्वारा Store की गई है। जो इसने बतलाया कि यहां पर कुल 1200 बोरियां पांगी भेजने के लिए रखी गई थी। जिनमें

से कुछ बोरियां इसने भेज दी थी तथा 856 बोरियां इस वक्त Store में मौजूद है। जो गवाहों, मन्दिर संचालक कमाल दास तथा मौक पर तलब किए गए प्रबन्धक FCI गोदाम वांशिग श्री प्रेम चन्द तथा श्री फुन्चोंग अगरुप VPO गोंधला की मौजूदगी कमरा में वरामदा बोरियों को चैक किया गया तो बोरियों में “ उचित मुल्य की दूकान 96% अनुदान भारत सरकार के सौजन्य से” लिखा पाया गया व प्रतियेक बोरी में एक तरफ नीली व दूसरी तरफ लाल रंग की धारियां पाई गई व प्रत्येक बोरी लाल रंग के धागे से सिली पाई गई। वरामदा सरकारी राशन / चावल की पहचान Sh. प्रेम चन्द प्रबन्धक FCI उपरोक्त से करवा कर फर्द पहचान कर्ता अलग से तैयार करी गई है। फर्द पर प्रेम चन्द ने बतौर पहचान कर्ता व गवाहों ने अपने – अपने हस्ताक्षर किये हैं। वरामदा बोरियों में से 15 बोरियों से 100gm/ 100gm कुल 1500gm बतौर नमूना निकाल कर हमराह लाए गए सफेद रंग के प्लास्टिक के बोरु मे डाल कर बोरु को एक कपड पुलिदां में बन्द करके पुलिदां को मोहर ‘K’की “9” मोहरो से सर्वमोहर किया गया नमूना मोहर अलग कपडा टुकड़ो पर 3-3 बार अंकित करी गई। मोहर वाद इस्तेमाल हवाले गवाह Sh. राम दयाल नायव तहसीलदार के करी गई है। 15 अदद बोरी चावल जिनमें से 100gm/ 100gm बतौर नमूना sample निकाले गए हैं। जिन्हें मार्का RBA-I से RBA-15 दिया गया व वाकि वची बोरीयों को अधिक संख्या Bulk में होने के कारण Proper गिनती नहीं की जा सकी है। जिन्हें आईदां गिनती करने के बाद अलग से मार्का दिया जाएगा। Store की दीवार में दूसरे कमरे की ओर एक छोटी खिडकी है। जिसे भी गवाहों के सामने एक ताला लगा कर सफेद कपडा ताले पर लपेट कर मोहर “C” की एक मोहर से Sealed किया गया व कमरा के Main दरवाजे को भी ताला लगा कर कपडा लपेट कर मोहर “C” की एक मोहर से Sealed किया गया। फर्द मौका पर तैयार करी गई। फर्द पर दौलत राम ने बतौर अलबद्ध Sh. राम दयाल व Sh. प्रिन्स कौर पाल ने बतौर गवाह व कमाल दास ने मन्दिर संचालक अपने- 2 Sign.किए हैं। फर्द की एक प्रति निशुल्क कमाल दास मन्दिर संचालक को दी गई। दौलत राम Civil Supply के Public Distributer द्वारा मन्दिर परिसर में सरकारी चावलों को Store करने बारे को दस्तावेज व विभागीय अनुमति प्रस्तुत न करने पर जुर्म जेर धारा 411,120B IPC , Sec. 3,7 Essential Commodity Act व Sec. -13(2) PC Act (Against unknown Public Servant) पाए जाने पर रूका तैयार करके वराये कायमी मुकदमा वदस्त आरक्षी दुर्गा सिंह के थाना भेजा जा रहा है। मुकदमा पंजीकृत करके नम्बर मुकदमा से सुचित फरमाएं। मन निरीक्षक मय हमराहीयान के व्यस्त वर मौक हूँ। Sd निरीक्षक अशोक कुमार (Ashok Kumar) अन्वेषणाधिकारी PS SV&ACB Kullu cam at Baishnu Mata Temple Bashing at 4.45 pm dt. 3/11/23 व मौका मुकाम वैष्णो माता मन्दिर वांशिग दूरी थाना से 4 K.M दिशा -उत्तर कार्यावाही थाना:- हस्व आमदा रूका को शब्द व शब्द लिखा जा कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां तैयार की गई। मुकदमा हजा का इन्दाज सम्बन्धित रजिस्ट्रात मे किया जा रहा है। जो जुर्म विशेष नोयडत का है प्रथम सूचना रिपोर्ट को ही विशेष प्रतिवेदन रिपोर्ट समझा जाए। प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति माननीय अदालत विशेष न्ययाधीश कुल्लू की सेवा में वदस्त गृह रक्षक तीखु राम 7/5-55 के भेजी जा रही है। मिस्ल मुकदमा तैयार करके आरिन्दा आरक्षी दुर्गा सिंह के वर मौका निरीक्षक / अन्वेषणाधिकारी अशोक कुमार के भेजी जा रही है।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

(की गयी कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं.2.में उल्लेख धारा के तहत है।):

(1) Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया):

or (या)

(2) Directed (Name of I.O.): (जांच अधिकारी का नाम): Ashok Kumar

Rank (पद): INSP. (Inspector)

No(सं.):

to take up the investigation (को जांच आपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or

(3) Refused investigation due to (जांच के लिए):

or (के कारण इंकार किया या)

Transferred to P.S.(थाना):

District(ज़िला):

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित)

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी।)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature/Thumb impression of the complainant / informant.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

Signature/हस्ताक्षर

15. Date and time of dispatch to the court

(अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Signature of Officer in charge, Police Station

(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name(नाम): Girdhari Lal

Rank (पद): HC (Head Constable)

No(सं.): 11

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)

(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1						

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.

(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है।)